

213



न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर (म0प्र0)

रिवीजन कमांक / 2015

निगरानी 1097-I-15

आवेदक : कृष्णकुमार नामदेव आत्मज स्व. गणेशप्रसाद नामदेव निवासी- बजरंग वार्ड गोटेगांव, तहसील गोटेगांव, जिला नरसिंहपुर (म0प्र0)

Handwritten notes: श्री कां. 155. बाई, 23.4.15, अनावेदक

विरुद्ध

महेश कुमार नामदेव आत्मज प्रेमनारायण नामदेव निवासी- बजरंग वार्ड गोटेगांव, तहसील गोटेगांव, जिला नरसिंहपुर (म0प्र0)

निगरानी अंतर्गत धारा 50 एवं 129 (4) म0प्र0भूरा.संहिता 1959

आवेदक वर्तमान निगरानीनामा प्रकरण कमांक 49-अ/12 सन् 2014 न्यायालय श्रीमान् तहसीलदार गोटेगाव द्वारा जाली नाप कमीशन में दिये गये प्रतिवेदन दिनांक 24/12/2014 आदेश दिनांक निरंक जिसकी सूचना कभी नहीं दी गई परन्तु कचेहरी जाने पर दिनांक 13/04/2015 में जानकारी प्राप्त होते ही नकल आवेदन प्रस्तुत करने पर प्रमाणित प्रति दी गई तब से विहित अवधि में निम्नलिखित आधारों पर प्रस्तुत की जा रही है।


Handwritten signature and date: 23.4.15

Handwritten date: 5.5.15

23 APR 2015

तथ्य

- यह कि, आवेदक के हक व स्वत्व की भूमि मौजा छोटो छिंदवाड़ा में स्थित खसरा 94/5, 94/20, 94/21 कुल रकवा 4.112 हेक्टेयर सन् 1994 में हुए बंटवारे से राजस्व रिकार्ड, में दर्ज चली आ रही है तथा प्रेमनारायण द्वारा स्वयं के हक में दर्ज जमीन खसरा नं0 94/3, 94/24 रकवा 4.085 हेक्टेयर में से रकवा 3.375 हेक्टेयर एवं उमेश कुमार नामदेव ने खसरा नं. 94/4, 94/23 रकवा 4.150 हेक्टेयर में से रकवा 1.023 हेक्टेयर तथा स्व. गेंदा बाई द्वारा खसरा नं. 94/1, 94/2, 94/25, रकवा 4.150 हेक्टेयर में से रकवा 3.341 हेक्टेयर कुल रकवा 7.739 हेक्टेयर पंजीकृत बैनामा दिनांक 13/04/2000 से कृषि उपज मण्डी को




## राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

## अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-1097-एक/15

जिला - नरसिंहपुर

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
25/02/2019	<p>आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार के सीमांकन आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित सीमांकन आदेश के विरुद्ध सुनवाई अनुविभागीय अधिकारी द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 30.04.2019 को अनुविभागीय अधिकारी तह. गोटेगांव जिला नरसिंहपुर के समक्ष उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: right;"> सदस्य</p> <p><u>अनुविभागीय अधिकारी गोटेगांव</u></p>	